न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 288 / 2022
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत :– धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थीगण**

केसराराम पुत्र खेताराम
जाति जाट निवासी मांजूवास
तह. पदमपुर जिला गंगानगर

1. श्रीमान तहसीलदार, बाप
2. ओमप्रकाश पुत्र खेताराम
3. जगमालराम पुत्र खेताराम
4. डूंगरराम पुत्र खेताराम
5. भजनलाल पुत्र खेताराम
 सर्वजाति जाट नि. मांजूवास
 तह. पदमपुर जिला गंगानगर

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ता 5

निर्णय

दिनांकः– 02.12.2022

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 5 तथा अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की खरीदसुदा काश्त भूमि ग्राम खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला जोधपुर में खसरा नम्बर 185/3 रकबा 19.8619 हैक्टेयर स्थित है। जमाबंदी संवत 2077–2080 संलग्न प्रार्थन पत्र प्रस्तुत है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 5 ने जरिये पंजीबद्ध विकय पत्र के दिनांक 17.03.1972 को खरीद की तथा उक्त पंजीबद्ध विकय पत्र के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 5 के पक्ष में नामान्तरकरण 326 मौजा खिदरत भरा जाकर स्वीकृत हुआ है। उक्त पंजीबद्ध विकय पत्र में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 5 की वल्दियत खेताराम अंकित है तथा पंजीबद्ध विकय पत्र के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण में भी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 5 की वल्दियत खेताराम दर्ज है लेकिन आगामी जमाबंदी चौसाला तैयार करते समय तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा सरासर गलत रूप से प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण सं. 2 ता 5 की वल्दियत खेताराम के स्थान पर रेखाराम दर्ज करदी जो आज दिन तक [illegible] में दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 5 के [illegible] की सिड खेताराम दर्ज है जो सही एवं सत्य है। इसलिये प्रार्थी ग्राम खिदरत पटवार [illegible] तहसील बाप जिला जोधपुर में खसरा नम्बर 185/3 रकबा 19.8619 हैक्टेयर भू[illegible]र्ज प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 5 की वल्दियत रेखाराम के स्थान पर खेताराम दुरूस्त करवाने का अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

उप खण्ड अधिकारी-बाप

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:55:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय स्तर से नोटिस तामिल होने से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की और से अधिवक्ता श्री मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश कर जवाब में बताया कि ग्राम खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिउ के खसरा नम्बर 185/3 रकबा 19.8619 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 के पिता का नाम रेखाराम के स्थान पर पूर्वानुसार खेताराम दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का कोई उजर एंव एतराज नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बाप ने जवाब पेश कर बताया कि ग्राम खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 185/3 रकबा 19.8619 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 के पिता का नाम रेखाराम के स्थान पर पूर्वानुसार खेताराम दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का कोई उजर एंव एतराज नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2077–2080 ग्राम खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नंबर 185/3 रकबा 19.8619 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की खरीदशुदा भूमि है, वादग्रस्त भूमि में जरिये विकय पत्र के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण संख्या 326 मौजा खिदरत में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्या 2 ता 5 की वल्दियत राजस्व रेकर्ड में रेखाराम दर्ज कर दी गई जबकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की वास्तविक एवं दस्तावेजी वल्दियत खेताराम है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों आधार कार्ड, पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग, ग्राम पंचायत मांझूवास पंचायत समिति पदमपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से साबित है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किये है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नंबर 185/3 रकबा 19.8619 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज वल्दियत रेखाराम के स्थान पर खेताराम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:55:45 IST
Reason: SelfAttested

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी-बाप
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)